

05-02-2020

प्रावली पेश हुयी वकील प्रावगिठ उपस्थित कही।  
वकील प्रावगिठ मय प्रावगिठ के आवाने  
लगाई गयी एजिड नही है। लिहाजा  
प्रावगिठ का प्रावना-पत्र वकील प्रावगिठ के  
अहम हाजरी-अहम पैरवी में खारिज किया जाता  
है। तथा न्यायालय कारा जारी अस्वार्थ निषेधना  
किंक 10.04.2018 को निरस्त किया जाता है।  
प्रावली के माली में शुमार होकर मूलवाय ~~हिलमरदी~~

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)  
रायसिंहनगर